



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1,000 रु0/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 470/13 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण बब्लू उर्फ बदरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन नि0- मु0 फत्तेपुर कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के कारावास व ₹ 1,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
सुभाष कुमार श्रीवास्तव



विवेचक-
उ0नि0 मुरलीधर



पैरोकार- थाना बिवांर
का0 श्रीकान्त राजपूत